# सूतक समाधान

## सूतक - पातक समाधान (चार्ट) (S.P.S.C.)

(विश्व का सर्वश्रेष्ठ चार्ट)

| अवसर | जन्म/मरण | विशेष/अन्य ग्रंथ के अनुसार |
|---|---|---|
| 3 पीढ़ी तक | (जन्म 10 दिन)/(मरण 12 दिन)* | पहली पीढ़ी दादा जी की, दूसरी पीढ़ी पिताजी की तथा तीसरी पीढ़ी स्वयं की कहलाती है। (जीवित हो या न हो) |
| 4 पीढ़ी में | 10 दिन* | 6 दिन (जैन व्रत विधान संग्रह, पूजन पाठ प्रदीप)(जन्म 5 दिन, मरण 6दिन-श्रा.स.) |
| 5 पीढ़ी में | 6दिन* | 5 दिन (जैन व्रत विधान संग्रह) (जन्म 4 दिन जिन भारती संग्रह, पूजन पाठ प्रदीप, श्रावकाचार संग्रह भाग-4)(मरण 5 दिन-श्रा.स.) |
| 6पीढ़ी में | 4 दिन* | जन्म 3 दिन, मरण 4 दिन-(श्रा.स.) |
| 7 पीढ़ी में | 3 दिन* | 1 दिन एवं सातवीं पीढ़ी से आगे सूतक नहीं माना है। (जैन दर्शन पुस्तक) (जन्म 2 दिन मरण 3 दिन-श्रा.स.) |
| 8 पीढ़ी में | 1 दिन-रात* | (संकेत :- श्रा.सं.=श्रावकाचार संग्रह भाग-4 प्रस्तावना) |
| 9 पीढ़ी में | 6घंटा* | स्नान तक (पूजन पाठ प्रदीप) |
| 10 पीढ़ी में | स्नान तक* | स्नान करने तक |
| पुत्री एवं अन्य रिश्तेदार (निज घर में) | 3 दिन | घर से बाहर हो, तो नहीं लगेगा(गृह निवास से बाहर जन्म,मरण हो तो सूतक नहीं लगेगा) |
| अन्य व्यक्ति, दासी, दास एवं पालतू जानवर (निज घर में) | 1 दिन | घर से बाहर हो, तो नहीं लगेगा(गृह निवास से बाहर जन्म,मरण हो तो सूतक नहीं लगेगा) |
| गृह त्यागी, सन्यासी, संग्राम में | 1 दिन | घर का त्याग कर समाधि पूर्वक मरण हो तो परिवार को 1 दिन का सूतक लगेगा |
| गोत्री अन्य स्थान पर (विदेश में) | खबर आने के पीछे शेष दिनों में | बटवारा, वैमन्यसता होने पर भी सूतक लगता है। |
| गर्भस्त्राव होने पर (3 से 4 माह तक) | जितने माह का हो माता को उतने दिन | परिवारजनों को नहीं लगेगा(जैन व्रत विधान संग्रह/भगवती आराधना, कल्याण कारकम) |
| गर्भपात होने पर (5 माह से 6माह तक) | जितने माह का हो माता को उतने दिन | परिवारजनों को एक दिन का/10 दिन परिवार जनों को (जैन व्रत विधान)/ पं. रतन चंद्र मुख्यतार व्यक्तित्व कृतित्व |
| मरा हुआ बालक जन्में | माता को 45 दिन | 10 दिन परिवारजनों को(जैन वृत विधान)/3 दिन का सूतक(जैन दर्शन) परिवारजनों को |
| जीवित बालक उत्पन्न हो नाल छेदनें के पश्चात मर जावे | माता को 45 दिन | 12 दिन परिवारजनों को (जैन दर्शन पुस्तक)/3 दिन परिवार जनों को (जैन व्रत विधान) /परिवार जनों को 5 दिन |
| आठ वर्ष तक के बालक का मरण होने पर | तीन पीढ़ी तक 10 दिन | अन्य पीढ़ी को उपर्युक्तानुसार/3 दिन (जिनभारती संग्रह) 8 वर्ष के बाद पूरा सूतक लगता है। |
| (आत्महत्या) अपघात मृत्यु-गर्भपात कराने पर | 6 माह | प्रायश्चित के पश्चात् ही शुद्ध होंगे/(जितनी पीढ़ी के लोगों का भोजन एक जगह एक साथ होता है उन्हें 6माह का सूतक आत्महत्या (अपघात मृत्यु) का।) |

विशेष बिन्दु :- ( 1 ) दाँत उगे बालक एवं जन्मा हुआ बालक 10 दिन के भीतर मरण को प्राप्त हो तो उन्हीं 10 दिन का सूतक होता है। ( जैन दर्शन ) ( जै.व्र.वि.स. )( 2 ) 3 वर्ष के बालक के मरण का सूतक 12 दिन/आसन्न को 1 दिन/अनासन्न को स्नान तक ( 3 ) 5 वर्ष के बालक का मरण सूतक कोई-कोई आचार्य पूर्ण भी मानते हैं। ( 4 ) 3 दिन के बालक का मरण होने पर 1 दिन का पातक लगता है एवं माता-पिता को 10 दिन का ( जिन भारती संग्रह, पूजन पाठ प्रवीन ) ( 5 ) आसन्न तीन पीढ़ी तक कहलाते हैं एवं अनासन्न चौथी पीढ़ी से 10वीं पीढ़ी तक ( 6 ) तीन दिन के बालक के मरण का सूतक नहीं लगता है। ( प्रायश्चित संग्रह 353 )। ( 7 ) सूतक-पातक के संदर्भ में कई क्षेत्रीय परम्पराएँ प्रचलित हैं, पीढ़ी के निर्धारण में भी विभिन्न मान्यताएँ हैं। वरिष्ठ आचार्यों/मुनिराजों एवं विद्वानों से विचार विमर्श अनुसार यदि एक ही दादा जी के पुत्र एवं पौत्र की पीढ़ी में सूतक-पातक है तो उन्हीं से पीढ़ी ली जावेगी यदि दादाजी के चचेरे भाईयों की पीढ़ी में सूतक-पातक होता है तो दादा जी के पिता जी से पीढ़ी ली जावेगी।
( संदर्भ - प्रतिष्ठापराग ) ( 8 ) गोत्र ( कुटुम्ब ) के लोगों को 5 दिन तक आहारदान, पूजन का निषेध है सूतक में। ▲ ( विचारणीय बिन्दु )
**संदर्भ** :- जैनेन्द्र सिद्धांत कोष भाग-4, * सूतक निर्णय भाष्य *▲ प्रतिष्ठा पराग, * क्रियाकोष, *▲ धर्म संग्रह श्रावकाचार *▲

कई वर्षों की मेहनत के बाद प्रमुख आचार्यों, मुनिराजों, विद्वानों, प्रतिष्ठाचार्यों, डॉक्टरों आदि से चर्चा करके लगभग 40 ग्रंथों का अवलोकन करके सूतक संबंधी विषय का संकलन किया गया है। जो ( सूतक-पातक समाधान ''विस्तार'' ) के नाम से है। यह कोई पुस्तक, लेख नहीं है नोट्स जैसा ही है। सूतक सर्वेक्षण हुआ, पी.एच.डी. जैसा शोध कार्य भी हुआ है। इसमें सभी विवादों का हल, सर्वश्रेष्ठ विषय, शास्त्रों के प्रमाण, आयुर्वेद, वैज्ञानिक कारण आदि विषय हैं।

## सूतक समाधान ''विशेष बिंदु''

**A1** (नोट : - हमारा प्रयास प्रत्येक गाँव, नगर, शहर में विवाद नहीं हो एवं विवाद सुलझाने का छोटा सा प्रयास है हमारी जिम्मेदारी किसी विवाद की नहीं है।)

### सूतक में क्या करें क्या नहीं -

**A2. सूतक** - पातक संबंधी मान्यताएँ प्रत्येक गाँव या नगर में भिन्न-भिन्न प्रकार देखी जाती है, अत: विभिन्न शास्त्रों तथा आचार्यों, मुनिराजों एवं विद्वानों से चर्चा करके निम्न विवरण दिया जा रहा है। ताकि पूर्व से चली आ रही जो परंपराएं हमको धर्म से दूर करती हैं, उनको शास्त्रानुसार बदला जा सके। (इसमें वैज्ञानिक कारण, लोक रीति, वर्तमान के प्रचलन का ध्यान रखा गया है।)

**A3. सूतक** - पातक में देव, शास्त्र, गुरू का स्पर्श वर्जित है एवं अभिषेक, द्रव्यपूजा, आरती, गंधोदक का पात्र छूना, पूजन के बर्तन, माला एवं साधुओं की वैया वृत्ति एवं आहार दान वर्जित है एवं सिर्फ गर्भ गृह में प्रवेश वर्जित है, दर्शन करने में कोई बाधा नहीं है, भाव पूजा करने में कोई बाधा नहीं है, साधुओं के दर्शन भी संत निवास आदि में एवं कमरे में दर्शन करने में कोई बाधा नहीं है। मंदिर की चटाई, दरी पर नहीं बैठ सकते लेकिन शास्त्र सभा में बैठकर स्वाध्याय सुन सकते हैं। जिस शास्त्र में श्लोक, गाथा, भगवान एवं साधुओं के चित्र हैं, मंत्र हैं, प्रथमानुयोग संबंधी विषय है वह ग्रंथ, पुस्तक नहीं छू सकते हैं, अन्य पूजा करने वालों के साथ खड़े होकर या बैठकर पूजा का वाचन कर सकते हैं। अन्य व्यक्ति से गंधोदक लेकर लगा सकते हैं। जन्म देने के बाद माँ भी गंधोदक लगा सकती है। सूतक में एड्राइड मोबाइल, कम्प्यूटर, लेपटाप अन्य डिजीटल सामग्री में धार्मिक मैटर भी नहीं छू सकते हैं। 3 दिन में तेरहवीं कर लेते है तो सूतक तो 12 दिन का रहेगा लेकिन स्थिति परिस्थिति देखकर जैसा समाज, परिवार निर्णय लें वैसा करें। शांति विधान 13वें दिन होता है। वर्तमान में लोग बार-बार नहीं आ पाते है।

**A4. बाल कटिंग का सूतक** - लोक प्रचलन में 6 घंटे/3 घंटे/2 घंटे 30 मि. एवं दाढ़ी बनाने का 48 मिनट का मानते हैं। इसमें देव, शास्त्र, गुरू का स्पर्श, पूजन, अभिषेक, आहारदान का निषेध करते हैं। वैसे यह कहीं शास्त्रों में पढ़ने में नहीं आया है लेकिन धवला ग्रंथ में मुनियों को केश लोंच के 3 दिन तक सिद्धांत ग्रंथ छूने का निषेध किया गया है क्योंकि बालों का संबंध मांस से रहता है और जुँयें आदि की हिंसा भी हो सकती है और कटिंग करने वाले की जाति का भी कारण है। इसलिये समय टालकर आगे पीछे कटिंग एवं सेविंग कर सकते हैं। (सम्यग दृष्टि को गर्दन भी दूसरे के आगे झुकाना पड़ती है और साधुओं को तो उपवास भी करना पड़ता है।)

**A5. बटवारे वैमनस्यता में सूतक** - सूतक पर सम्पत्ति के बटवारे, अन्य स्थान या विदेश में रहने, पारिवारिक वैमनस्यता होने का प्रभाव नहीं पड़ता अर्थात विदेश में रहने वाले अलग-अलग निवास, व्यापार होने पर भी सूतक का दोष लगेगा। सूचना मिलने का काल सूतक के समय में शामिल रहेगा, सूचना मिलने पर जितने दिन सूतक शेष हों, उतने दिन सूतक मानना चाहिए।

**A6. सूतक किसे नहीं लगता** - सूतक का प्रभाव वंश व गोत्र के अनुसार लगता है, यही कारण है कि विवाहिता पुत्री सूतक से अशुद्ध नहीं होती। प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार प्रतिष्ठा कार्य में सम्मिलित पात्रों का सकलीकरण एवं नान्दी विधान के बाद (जिसमें शुद्धि करके गोत्र परिवर्तन किया जाता है) सूतक का दोष नहीं लगता है।

**A7. सकलीकरण के बाद सूतक नहीं** - इसी प्रकार धार्मिक आयोजन में संलग्न पात्र जिसका सकलीकरण हो चुका हो, उनको भी सूतक नहीं लगता परंतु ऐसे पात्रों को सूतक स्थान में जाना, उस आयोजन में सम्मिलित होना, सूतक में अशुद्ध व्यक्तियों से सम्पर्क करना वर्जित है। यदि पात्र इन कार्यों को करता है तो वह अशुद्ध ही माना जावेगा अर्थात् सूतक का अशौच उसे मानना होगा।

**A8. गर्भवती महिला 5 माह तक आहारदान दे सकती है-** (भगवती आराधना गाथा 582 पृ. 409 एवं मूलाचार पिण्ड शुद्धि अधिकार गा.469 की टीका पृ. 364 भारतीय ज्ञानपीठ) भगवती आराधना गाथा 1003 के अनुसार ''पाँचवे मास में उस मांस पिण्ड में दो हाथ, दो पैर और सिर के रूप में पाँच अंकुर उगते हैं। छठे मास में उस बालक के अंग और उपांग बनते हैं'' इसलिये आहारदान 5 माह के बाद मना है क्योंकि उठने-बैठने में भी परेशानी होती है। बड़े अनुष्ठानों, विधानों आदि में भी मना किया गया है। सफेद द्रव भी निकलने लगता है। प्रत्येक महिला अनुभूत है। स्वाध्याय कर सकती है। गर्भवती कल्याण कारकम ग्रंथ में भी शरीर बनने का वर्णन है) देखें धृति क्रिया :- गर्भाधान के 7 वें महीने में गर्भ की वृद्धि के लिए पूर्वोत्त विधान करना चाहिये, मोद क्रिया :- गर्भाधान के नवमें महीने में गर्भ की पुष्टि के लिए पुन: पूर्वोत्त विधान करके, स्त्री को गात्रिका बन्ध मंत्र पूर्वक बीजाक्षर लेखन आदि कार्य करना चाहिये। (महापुराण/38-70-310/73 से 84 तक) जब ''महापुराण'' में विधान करने का लिखा है 7वें, 9वें महीने में तो पूजन करने में कहाँ बाधा है। सीता, अंजना ने भी गर्भवती अवस्था में भगवान की पूजा की (पद्मपुराण)। (**S.P.S.V.-4 MD**)

**A9.** पति का मरण होने पर (विधवा महिलायें) 12 दिन का ही सूतक मानें 13 वें दिन से द्रव्य पूजन, स्वाध्याय, आहारदान आदि करें। कई महिलायें 30-40 दिन तक धार्मिक कार्य नहीं करती हैं इस संबंध में आचार्यों मुनिराजों, विद्वानों से चर्चा हुई हैं।

**A10.** रविवार, बुधवार को किसी के भी यहाँ मृत्यु के बाद बैठने नहीं हैं यह मान्यता शास्त्रों के अनुसार ठीक नहीं है। इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। ऐसे ही पंचक का खारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मंगल, शुक्र, शनि, रविवार को मरण के बाद हड्डियों का संचय मना किया गया है। (ग्रंथों में)

**A11.** जन्म या मृत्यु के दिन से तीसरे दिन तक मंदिर के बाहर जहाँ से प्रतिमा के दर्शन होते हों या मानस्तंभ के दर्शन होते हों तो अवश्य करें क्योंकि भगवान के दर्शन करने का किसी भी शास्त्रों में निषेध नहीं है, मंदिर में प्रवेश मना है। (प्रवेश द्वार से करें दर्शन) (प्रत्येक जगह जैसी स्थिति/परिस्थिति हो वैसा निर्णय लें)

**A12. 24 घंटे का सूतक नहीं लगता है अन्य के मरण पर -**
(I) किसी के यहाँ मरण के बाद बैठने जाते हैं अथवा अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं तो दूसरे दिन प्रात: काल पूजन एवं आहार दान कर सकते हैं।
(II) 24 घंटे का नहीं लगता है सूतक :- अन्य के मरण पर 24 घंटे का सूतक नहीं लगता है आचार्यों, मुनिराजों, विद्वानों से चर्चा हुई है जब 7वीं पीढ़ी के बाद सूतक नहीं लगता है (जैन दर्शन पुस्तक के अनुसार) और 9वीं पीढ़ी में 6घंटे लगता है जो गोत्र के हैं तब यहाँ रिश्तेदार, पड़ोसी, संबंधी को क्यों लगेगा विशेष देखें (जैन व्रत विधान संग्रह) का प्वाइंट।
यदि कोई डॉ. है और प्रसूति करवाता है अथवा आपरेशन करता है और प्रतिदिन पोस्टमार्टम करता है या अन्य डॉ. इसी प्रकार के कार्य करते हैं तो उनको तो फिर 365 दिन सूतक रहेगा इसलिये 24 घंटे का मानना ठीक नहीं बैठता है। और कहीं शास्त्रों में अभी तक देखने में भी नहीं आया। जीवों के जल जाने का पातक मात्र अग्नि लगाने वाले पुरुषों को ही होता है अन्य को नहीं (जैन व्रत विधान संग्रह पृष्ठ 132)।
शव वाहक की यथा काल शुद्धि होती है। (अन्य ग्रंथ में)
अशौच आने पर धार्मिक कार्यों में तत्काल शुद्धि हो जाती है। (अन्य ग्रंथ में)
(III) सूर्यास्त के पहले तक सूतक-पातक होता है तो वह गणना में प्रथम दिन माना जायेगा क्योंकि जैन दर्शन में प्रत्येक कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही किये जाते हैं। जैसे-पूजन आहारदान, आदि और हम अष्टमी, चतुदर्शी आदि पर्व में भी तिथि से मनाते हैं और तिथि परिवर्तन सूर्योदय से ही प्रारंभ होता है अधिकांश। (इसलिए 24 घंटे का कोई औचित्य नहीं लगता)

**A13.** सूतक-पातक में मुख्य रूप से भोजन और व्यापार यदि इकट्ठा है तो सूतक-पातक समान लगेगा, अलग-अलग है तो पीढ़ी के अनुसार या उपर्युक्त नियमानुसार लगेगा। सिर्फ भोजन भी होता है तो भी यही लागू होगा।

**A14.** व्रती की समाधि होती है और घर का त्याग कर देता है और किसी साधु के पास संलेंखना लेता है तो 1 दिन का ही सूतक लगेगा परिवार जनों को।

**A15.** गोद जाने वाले को वह जहाँ है वहीं का सूतक लगेगा।

**A16.** सूतक-पातक वाले के यहाँ की पूजन, आहारदान आदि की द्रव्य रिश्तेदार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वह द्रव्य सूतक समाप्त होने पर काल शुद्धि से शुद्ध हो जाती है।

**A17.** ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारी, व्रती सूतक-पातक वाले के यहाँ भोजन नहीं करें।

**A18.** सूतक-पातक वालों का दान भी ग्रहण नहीं होता है।

**A18.(II)** पिच्छीधारी साधु की अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले को 1 दिन का सूतक मानना चाहिए एवं यात्रा से लौटकर सवस्त्र स्नान करना चाहिये।

**A19. सूतक-पातक शास्त्रों के अनुसार :-**
* सूतक की अवस्था में श्रावक को अहारदानादि कार्य करने का निषेध किया गया है अर्थात अशुद्ध माना है। (भगवती आराधना अ.6, पृष्ठ 107)
* श्री मन्नेमि चन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती : त्रिलोक सार ग्रंथ में (924) में कहते हैं कि- दुर्भावना, अपवित्रता, सूतक आदि में एवं पुष्पवती स्त्री के स्पर्श युक्त अवस्था में आहार दान नहीं देना चाहिए।
* श्री राजमल्ल-लाटी संहिता ग्रंथ (5/251) में-भोजन शुद्धि बनाये रखने के लिए यथासंभव सूतक-पातक में त्याग जिनशासन में किया गया है अर्थात सूतक-पातक वाले गृहस्थ के घर में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए।
2 में कहते हैं कि-श्रावक होकर भी दीन भाषण करता है, सूतिका जो बालकों को जन्म कराती है, मद्य बेचता है, पान करता है तथा उनके संसर्ग में रहता है उसे सूतक युक्त अशुद्ध कहा जाता है।
* पं. आशा धर जी अनगार धर्मामृत में (5/34) में कहते हैं कि-
शव को श्मशान में छोड़कर आये हुये, मृतक, सूतक से युक्त, व्याधियुक्त तथा क्लीब आदि के दोष से युक्त समझना चाहिए।
* सूतक के दिनों में दान, अध्ययन, पूजन आदि करने से नीच गोत्र का बंध होता है। (धर्म संग्रह श्रावकाचार पं. मेधावी अधिकार 6 श्लोक 257 से 261 तक)

**A20. सूतक बिन्दु** - (नोट - यदि पीहर में है विवाहित लड़की तो) विवाहित लड़की यदि पिता के घर में न रहे, वस्त्र किसी के घर में शुद्धि संबंधी डाल देवे तो उसे पातक नहीं लगेगा, वह आहार आदि दे सकती है।
1. दस वर्ष से ऊपर वाले बच्चे को जलाने का विधान है।
2. आठ वर्ष तक के बच्चे का मरण होने पर परम्परानुसार दफनाने का विधान है।
3. व्रती-ब्रह्मचारी-ब्रह्मचारिणी के माता-पिता के मरण होने पर पातक लगता है। दशमी प्रतिमाधारी यदि घर में रहता है तो उसको सूतक-पातक मानना चाहिए।
4. ऑपरेशन के द्वारा बालक हुआ तो 45 दिन का सूतक लगेगा। पीढ़ी के अनुसार कुटुंबी जन को लगेगा।
5. तलाकशुदा स्त्री यदि पिता के घर रहे तो उसे सूतक-पातक पूरा लगेगा।
6. खारी तीन दिन में ही उठानी चाहिए परम्परानुसार पंचक आदि में नहीं उठाते। अगर ऐसी मान्यता है तो भले देर हो लेकिन जल्दी नहीं करनी चाहिए। उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तीन दिन अग्नि की आयु है, इसलिए उससे पहले नहीं उठाना चाहिये।
7. खून में जो जर्म्स पाये जाते हैं। वह 9 पीढ़ी तक कुटुम्बियों में पाये जाते हैं। इसलिये सूतक 9 पीढ़ी तक लगता है। (स्व. वयो वृद्ध प्रतिष्ठाचार्य के अनुसार)

**A21. आत्महत्या से सम्बन्धित 6 माह का सूतक किसको और कब लगता है ?**
समाधान - विभिन्न श्रावकचारों एवं पूजा आदि की पुस्तकों में आत्महत्या का पातक 6 माह का लिखा हुआ मिलता है। इसके अलावा अन्य कुछ भी विस्तृत विवेचन नहीं मिलता। जबकि आत्महत्या से सम्बंधित परिस्थितियाँ अनेक प्रकार की होती है। अत: इस सम्बन्ध में विभिन्न विद्वत्गोष्ठियों में साधुवर्ग एवं विद्वत्वर्ग से विचार विमर्श करने पर निम्नलिखित समाधान स्पष्ट होता है।
**घटना** - राजेन्द्र कुमार, देवेन्द्र कुमार दो भाई हैं। यदि राजेन्द्र कुमार दहेज न मिलने के कारण अपनी पुत्रवधु को जला देता है या उनकी पुत्रवधू, सास-ससुर से कहा सुनी के कारण स्वयं जलकर आत्महत्या कर लेती है, तो
(अ) राजेन्द्र कुमार के परिवार को 6 माह का सूतक लगेगा। यदि देवेन्द्र कुमार उसी घर में रहते हों और उसी रसोई में भोजन करते हों तो उनको भी 6 माह का सूतक लगेगा। यदि देवेन्द्रकुमार अलग रहते हैं और उनका इस घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है, तो उनको मात्र 12 दिन का सूतक लगेगा।
(ब) यदि राजेन्द्रकुमार की पुत्रवत्रु ने किसी अन्य कारण से आत्महत्या की हो, और उसमें उनके पति या सास-ससुर द्वारा कोई परेशानी आदि न की गई, या वह अचानक खाना बनाते समय जलकर मरण को प्राप्त हो गई हो, तो पूरे परिवार को मात्र 12 दिन (विचारणीय बिंदू है यह) का सूतक लगेगा।
(स) यदि राजेन्द्र कुमार शेयर बाजार में घाटा हो जाने के कारण आत्महत्या करके मर गये हों तो पूरे परिवार को 12 दिन का सूतक लगेगा।
उपर्युक्त सूतक-पातक के सम्बन्ध में यदि किन्हीं विद्वान महोदय को कुछ भी कहना हो, तो अवश्य लिखने की कृपा करें। (जिज्ञासा-समाधान पृष्ठ 195-196) (विशेष देखें आत्महत्या सूतक (**S.P.V.B.-5**)

**A22. (I) आत्महत्या का सूतक -**
आत्मघात (आत्महत्या) क्या है :- आग से, जुएँ से, शस्त्र से, विष से, जल से, पर्वत से गिरने से, श्वास के रूकने से, अतिशीत या अति गर्मी पड़ने से, रस्सी से, भूख से, प्यास से, जीभ उखाड़ने से और प्रकृति विरूद्ध आहार के सेवन से बालपुरुष मरण को प्राप्त होते हैं। इसे इच्छापूर्वक मरण कहते हैं। अर्थात् ऐसे उपाय स्वयं करके वे मरण करते हैं। (भगवती आराधना गाथा 25 पृष्ठ 54 की टीका सोलापुर प्रकाशन वी.नि.सं.2533)
* विष की वेदना, रक्त क्षय, भय, शस्त्र की चोट, संकलेश तथा आहार एवं श्वासोच्छवास के निरोध से आयु क्षीण हो जाती हैं उसे अकाल मरण कहते हैं। (अष्ट पाहुड/भाव पाहुड गाथा 25 आ.कुंदकुंद स्वामी)
* अनंतानुबंधी का काल 6 माह कहा गया है इसलिये आत्महत्या संबंधी सूतक 6 माह का लगता है। (प्रवचनांश वर्तमान के प्रसिद्ध सर्वमान्य आचार्य महाराज)
* आत्महत्या संबंधी सूतक यदि 6 माह लगता है तो यह भी विचारणीय है कि आज के बच्चे जो विदेशों में रहते हैं, बैंगलोर, पुणे, मुम्बई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे शहरों में रहते हैं और वहां मंदिर नहीं जाते हैं तो 6 माह में वह जैन धर्म संबंधी सभी चीजें भूल जाएंगे इसलिए भावपूजा, स्वाध्याय दूर बैठकर सुनना, जाप हाथ से देना या माला से देते हैं तो सूतक के बाद में शुद्ध कर सकते हैं। सिर्फ द्रव्य से स्पर्श नहीं करना बाकी क्रियाएं तो कर सकते हैं।
* ग्रंथों के अवलोकन के बाद एक चीज और देखने में आयी है कि शायद सती होने का सूतक 6 माह लिखा हो और यही कारण रहा हो कि सती प्रथा पर रोक लगे। वैसे भी आत्मघात महापाप है क्योंकि मनुष्य जन्म और जैनकुल दुर्लभ हैं। और व्यक्ति यह कार्य करके समाज, परिवार को हानि पहुँचाते हैं। जैन समाज के लोगों का कर्तव्य है कि कोई कर्ज से परेशान है या स्टूडेंट के ऊपर पढ़ाई आदि का बोझ नहीं डाले परिवार में सामंजस्य बनायें जिससे यह घटनायें न हों।
**भावना / विचारणीय बिंदु** - ग्रंथों में प्रायश्चित का भी विधान है अत: समाज के लोग विचार करके ही निर्णय लें।
विशेष स्थिति में - 1,2,3,4,5,6 माह भी होना चाहिए। इस बारे में प्रमुख आचार्य, मुनिराज, विद्वान, प्रतिष्ठाचार्य आदि विचार करने की अनुकंपा करें।
समाधान नं.2 - (इस संबंध में वर्तमान के सर्वमान्य आचार्य महाराज का मत है कि जब शेयर बाजार अच्छा चल रहा था तब सभी परिवार के सदस्य उसी धन का उपयोग कर रहे थे इसलिये 6माह का सूतक लगेगा इसी प्रकार बच्चे के लिए प्रेशर डालते हैं पढ़ाई के लिये और वह फेल हो जाता है इसलिये पूरे परिवार को 6माह का सूतक लगेगा इसी प्रकार बच्चे के लिए प्रेशर डालते हैं पढ़ाई के लिये और वह फेल हो जाता है इसलिये पूरे परिवार को 6माह का सूतक लगता है। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश भाग-4 में तो अपघात मृत्यु का सूतक 3 माह भी दिया है एवं नरेन्द्र सेनाचार्य ने सिद्धांतसार 10/120 में श्रावक घात 6माह, बालक घात 3 माह भी दिया है, लेकिन यह विचारणीय है।) आत्महत्या संबंधी केसों में स्थितियों, परिस्थितियों एवं जैसे पुलिस देखती है कि किस-किस ने प्रताड़ित किया यह भी देखना पड़ेगा और किसी गाँव में दो ही घर हैं और दोनों को 6-6 माह का सूतक लग गया तो पूजन-अभिषेक कौन करेगा यह भी देखना पड़ता है।

**A22. मासिक धर्म विदेशों में अन्य धर्मों में, वैज्ञानिक आधार - क्यों ?, कैसे ?** (देखें **S.P.S.V/MD I,II,III**)
(1) मासिक धर्म हिन्दू धर्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी, पारसी भी मानते हैं।
(2) अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, आयरलैण्ड, न्यूजीलैंड, लेबनान, जर्मनी, फ्रांस, सीरिया, इटली, नायका, साय गोन, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, नाइजीरिया, चाईना, नेपाल, भूटान, सिक्किम, तिब्बत कोचीन आदि देशों में भी मानते हैं।
(3) एम.सी. एक वैज्ञानिक विश्लेषण
(4) वैज्ञानिक एस.आई. यीसीफ (ई.स.1820) के प्रयोग का परीक्षण।

**A23. सूतक-पातक शुद्धि का सार**
* रजस्वला स्त्री की उम्र के अनुसार शुद्धि मानी गई है। पूर्णत: शुद्धि होने के उपरांत ही देवदर्शन, पूजा, आहार, दानादि के कार्य हेतु ही शुद्ध होती है। उम्र के अनुसार शुद्धि होने के बावजूद भी चौथे दिन ही स्नान के योग्य होती है, दो या तीन दिन में नहीं। जरा भी अशुद्धि हो तो पृथक खड़े होकर मुनि, आर्यिका, क्षुल्लक, एलक का पडगाहन नहीं करना चाहिए। पूजा स्वाध्याय करने वालों को चौथे दिन स्पर्श नहीं करना चाहिए।
* कुंवारी कन्या जब तक घर में रहे तब तक उसको परिवार वालों के समान ही सूतक-पातक लगेगा।
* विवाहित होने पर गौत्र परिवर्तन होने पर सूतक-पातक का प्रभाव नहीं पड़ेगा।
* दशहरा में रावण के पुतले आदि जलाते हो या उसमें शामिल होते हो या किसी नेताओं के पुतले जलाते हों तो कुछ घंटे का पातक लगता है। पुतला जलाना संकल्पी हिंसा है, इससे बचना चाहिए।

**A25. सूतक-पातक के मुख्य बिंदु**
1. पंचक में मरण होने पर अंहिसात्मक क्रियाएँ करें।
2. मृत शरीर को धर्म मानकर 3 परिक्रमा देना आगम से उचित नहीं बैठता है।
3. सूतक का विधान सामान्य पुरुषों के लिए है। महान पुरुषों (चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण) को नहीं लगता। यह सब व्यवहार धर्म के अन्तर्गत है। जिसकी भूमिका का निर्वाह गृहस्थ करता है। जब तक व्यवहार धर्म है तब तक सूतक-पातक मानना चाहिये।
4. आत्महत्या से मरण यदि हुआ हो तो 6माह का सूतक और यदि स्वयं अपने आप आग से जला हो तो उसका 12 दिन का कुटुम्बियों को सूतक लगता है।
5. गृहत्यागी प्रतिमाधारी को सूतक नहीं-व्रत प्रतिमा से लेकर किसी भी प्रतिमा में गृहत्यागी होने पर उसके कुटुम्ब संबंधी वृद्धि-हानि का सुआ-सूतक नहीं माना जाता क्योंकि अब उसके कुटुम्ब का संबंध नहीं रहा।

**A26. पीढ़ी समाधान नं. A-2 - पीढ़ी संबंधी बिंदू**
एक ही मटकी का पानी पीने वाली पीढ़ीयाँ भिन्न-भिन्न असमान दिनों तक सूतक पालें, यह बात तब तक नहीं बन सकती जब तक ये अलग-अलग नहीं रहने लगें। एक संयुक्त परिवारी पिता, पुत्र को तो समान दिनों का सूतक तर्क बल से मानना न्याय संगत पड़ता है।
यदि संयुक्त रूप से रहते हैं, परिवार में तो सूतक-पातक एक समान लगेगा। (जिनभाषित पत्रिका अक्टूबर 2008)

**पीढ़ी समाधान नं. A-3 पीढ़ियाँ ऐसे गिनते हैं -**
पिता जी हैं, तब वह अपनी पीढ़ी को दादाजी से ही गणना करेंगे और जब तुम्हारा नम्बर आयेगा तो तुम भी दादा जी से गणना करोगे। पिताजी के दादा जी से नहीं, जिसके जो दादा जी कहलायेंगे उनसे ही गणना की जायेगी। (साभार :-दाता स्वीकारो पृष्ठ 112)

**पीढ़ी समाधान नं. A-4**
लड़का अलग होने पर सूतक उसके परिवार को उसकी पीढ़ी के अनुसार लगेगा। परिवार के दादाजी जीवित हों या मृत हो गये हों पीढ़ी की गणना कर सकते हैं। (वर्तमान के प्रतिष्ठाचार्य का मत)
जिस पीढ़ी का जो मुखिया होगा उसे जितनी पीढ़ी का सूतक लगेगा उतना ही सभी परिवार जनों को भी लगेगा (अलग गणना नहीं होगी)।

**समाधान नं. A-5**
परिवार में जो भी ज्येष्ठ (दादा-दादी, माता-पिता आदि) परिजन जीवित हों, उसी पीढ़ी के प्रमाण से समस्त परिवार को सुआ-सूतक पालना होगा। (धर्मोद्योत प्रश्नोत्तर माला)

**A27. सूतक-पातक समाधान बिंदु (विचारणीय बिंदु)**
1. सूतक संबंधी ग्रंथों के अध्ययन के पश्चात् निष्कर्ष निकला कि त्रिलोक सार, अनगार धर्मामृत, धर्म संग्रह श्रावकाचार, क्रियाकोष, मूलाचार, भगवती आराधना, अष्ट पाहुड, दर्शन पाहुड की टीका, लाटी संहिता आदि ग्रंथ में ही सूतक के बारे में अच्छा विवरण है। त्रिवर्णाचार, त्रैवर्णिकाचार, धर्म रसिक ग्रंथ, उपसकाध्ययन सारोद्वारा जो श्री सोमसेन श्री गुणभद्राचार्य, श्री ब्रह्मसूरि, श्री जिनसेन के हैं ''ग्रंथ परीक्षा'' में पं. जुगल किशोर जी मुख्तार ने प्रामाणिक नहीं माना है। इसी प्रकार ''चर्चा सागर'' एवं ''संयम प्रकाश'' ग्रंथ भी प्रमाणिक नहीं माने हैं। पं. मेधावी जी ने ही सर्वप्रथम ''धर्म संग्रह श्रावकाचार'' में सूतक कितना यह वर्णन किया है इसके बाद त्रिवर्णाचार में आया जो प्रमाणिक नहीं है फिर ''क्रिया कोष'' में पं. किशन सिंह जी ने वर्णन किया है और लिखा है कि ''मूलाचार'' के अनुसार वर्णन किया है जबकि टिप्पण में स्व.पं. पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने लिखा है कि मूलाचार में यह वर्णन नहीं है।
2. सभी जिनवाणी एवं अन्य पुस्तकों में त्रिवर्णाचार का ही मिलता जुलता विषय है। अत: सूतक के विषय में पूरे भारत में भ्रांतियाँ हैं। हमें यह निर्णय करना कठिन हो रहा क्योंकि विवाद होने की संभावना रहती है। इसलिए शास्त्र प्रमाण, लोकरीति के अनुसार ही पालन करें जिससे धर्म से वंचित नहीं रहें पीढ़ी गिनने के संबंध में कहीं शास्त्र प्रमाण नहीं है इसका वर्णन (**S.P.S.V.-5**) में देखें। अभी हमारी खोजबीन जारी है।
3. रत्न करडंक श्रावकाचार के अनुसार यदि श्रावक सामायिक में मुनि के समान हो जाता है। ऐसे ही यदि श्रावक कुछ समय को मोह राग-द्वेष त्याग दें और तीर्थ क्षेत्र पर रहे या तीर्थ यात्रा पर जाये तो परिग्रह, मोबाइल, फोन से कम्प्यूटर पत्र आदि से संपर्क छोड़ दें तो सूतक नहीं लगेगा (3 नं. चिंतन वर्तमान के प्रसिद्ध सर्वमान्य आचार्य महाराज ने स्वाध्याय में बताया)

**A28. सूतक संबंधी विचारणीय बिंदू**
पीढ़ी संबंधी चर्चा :- सूतक में जन्म और मरण में पीढ़ी के अनुसार सूतक संबंधी विषय क्रिया कोष। श्री किशन सिंह जी के ग्रंथ में मिला है जो 17वीं शताब्दी का है। इसके पहले किसी ग्रंथ में पीढ़ी का उल्लेख नहीं है। पीढ़ी का उल्लेख ''सूतक निर्णय भाष्य'' में श्री सोमसेन सूरि ने किया है। पीढ़ी गिनने में कई तरह की मान्यतायें हैं। इस संबंध में पं. जवाहर लाल जी सिद्धान्ताचार्य भीण्डर (राज.) का लेख ''पीढ़ियाँ कैसे गिनें'' जो जैन गजट में 1995 में प्रकाशित हुआ था पठनीय है। पीढ़ी गिनने में घर के मुखिया की जो पीढ़ी होगी वही सूतक परिवार जनों को लगेगा। जैसे शादी या अन्य कार्यक्रम में भी मुखिया का नाम लिखा जाता है। राशन कार्ड एवं वोटर लिस्ट में भी मुखिया का नाम ही लिखा जाता है।
इसके अलावा जहाँ जैसा रिवाज हो, वैसा करना चाहिये देश कालादि के अनुसार इन विषयों में अनेक विभेद होते हैं इसीलिए कहा गया है कि-
जो इस विषय में नहीं बताया गया हो, उसे लोक व्यवहार से जानना चाहिये (पं. रत्नचंद्रमुख्तार व्यक्तित्व कृतित्व पृष्ठ 652 शंका 21-11-1957)।
प्रगट रहे कि कहीं-कहीं देश भेद से सूतक विधान में भी भेद होता है इसलिये देश पद्धति तथा शास्त्र पद्धति का मिलान कर पालन करना चाहिये (श्रावक धर्म सं. पृ. 307)

**A29. सूतक** - पातक नहीं मानना भी मिथ्यात्व है और ज्यादा मानना भी दोष है। सूतक-पातक में जो अशुद्धि होती है उसके कारण से पूजा, आहारदान, देव शास्त्र गुरू को स्पर्श के लिए मना किया गया है। इसलिये जन्म होता है तो राग के कारण पूजन आदि में मन भी नहीं लगता है और यदि मरण हो जाता है तो भी विषाद हो जाता है जिसके कारण भी मन नहीं लगता है। ऐसा आचार्यों, विद्वानों आदि का मत है इस प्रकार इस लेख को पढ़कर खुद सूतक-पातक पालन करें और करवायें तथा ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें एवं सामाजिक विवादों से बचकर धर्म ध्यान में लगें और श्रावक मार्ग से क्रमश: मोक्षमार्ग को प्राप्त करें यही भावना है। इसमें कोई त्रुटि रह गयी हो तो आचार्य/मुनिराज/विद्वत जन अवगत करायें जिससे सुधार किया जा सके। इस संबंधी विवाद की जिम्मेदारी हमारी नहीं है हमारी कोशिश विवाद सुलझाने की है इसलिये यह प्रयास किया है।

**A30.** जो कहने योग्य था वह सम्पूर्णतया कह दिया गया है इतने मात्र से ही यदि यहाँ कोई चेत जाये तो समझ ले अन्यथा वाणी का अतिविस्तार किया जायें तो भी निश्चेतन अर्थात् ना समझ को व्यामोह का जाल वास्तव में अति दुस्तर है। (प्रवचनसार चारित्र चूलिका गा.219 पृष्ठ 513 टीका का श्लोक नं. 14)

**मार्गदर्शन / सद्प्रेरणा :- दिगम्बर जैन मुनि ....**
**सम्पूर्ण जानकारी हेतु देखें**
**सूतक पातक समाधान विस्तार (भाग 1,2,3,4,5)**
**सूतक समाधान हेल्प लाइन**
09301301540, 08120226691
**एप्प:-** jindharma **बेवसाइट:-** www.jindharma.com

ग्राफिक्स : सौभाग्य सोधिया, सोधिया प्रिंटर्स, पजनार मो. 9179040110 संपर्क सूत्र :- 09300622051, 08103435434, 09926357007, 09424427336, 09993259072, 09179040110, 09329246533, 09425238277

## अर्पणकर्ता :- आदिश्वर जैन (महावीरा ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड) बेंगलुरु

**नोट: इसे दिगम्बर जैन मंदिर, धर्मशाला, सार्वजनिक स्थल पर लगा दें जिससे पूरे भारत के जैन श्रावक सूतक में भी पढ़ सके एवं इसे फ्रेमिंग करवाकर लगा दें जिससे सुरक्षित रह सकें। यह मंदिर के बाहर ही लगाये जिससे सूतक में भी श्रावक पढ़ सकें।**